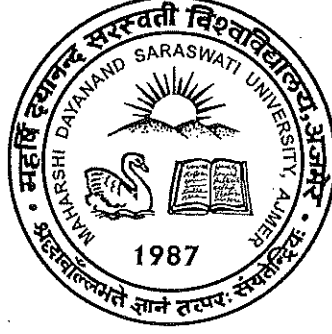


महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर



कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 116वीं बैठक

दिनांक

25 सितम्बर, 2026

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर ।



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 116वीं बैठक

कार्यवृत्त(Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 116वीं बैठक दिनांक 25.09.2026 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल,
कुलगुरु महोदय | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी,
(कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष) | सदस्य |
| 3. प्रो. ऋतु माथुर
(कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) | सदस्य |
| 4. प्रो. गुलाब सिंह चौहान (ऑनलाईन)
(कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) | सदस्य |
| 5. डॉ. दिग्विजय सिंह शेखावत
(राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) | सदस्य |
| 6. श्री शक्ति सिंह राठौड़,
संभागीय आयुक्त, अजमेर ।
(प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 7. डॉ. मुकेश कुमार शर्मा, (ऑनलाईन)
संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा)
(प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षाविभाग के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 8. श्रीमती रुद्रा रेनू, संयुक्त निदेशक, अजमेर ।
(प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 9. श्री महावीर सिंह, कुलसचिव | सदस्य-सचिव |

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित रहे:-

- | | |
|--|-------|
| 10. श्री लालाराम जी बैरवा, माननीय विधायक
(विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) | सदस्य |
| 11. श्री वीरेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक
(विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) | सदस्य |
| 12. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर | सदस्य |

बैठक में उपस्थित सदस्यों का कुलगुरु महोदय ने स्वागत किया तदुपरान्त कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 01	प्रबन्ध बोर्ड की 115वीं बैठक दिनांक 18.07.2026 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी सम्माननीय सदस्यों को कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-1/मदसविवि/2026/4546-556 दिनांक 23.07.2026 के द्वारा प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक
निर्णय	उक्त कार्यवृत्त के निर्णय संख्या 14 (1) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में अंकित “एक पत्रकार के द्वारा उन्हें” शब्द को विलोपित मान्य करते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 02	प्रबन्ध बोर्ड की 115वीं बैठक दिनांक 18.07.2026 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना (कार्यसूची का परिशिष्ट-01)	शैक्षणिक
निर्णय	उक्त अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं. 03	दिनांक 24.09.2026 को आयोजित होने वाले विद्या परिषद् की 83वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-02 पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा)	शैक्षणिक
निर्णय	विद्या परिषद् की 83वीं बैठक दिनांक 24.09.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 04	कुलगुरु महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:- (1) प्रतिवेदन है कि प्रबन्ध बोर्ड की 115वीं बैठक दिनांक 18.07.2026 के निर्णय संख्या 14 (01) के क्रम में योग विभाग के शिक्षकों से संबंधित पत्रावली कुलगुरु महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी । उक्त पत्रावली पर कुलगुरु महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत दिनांक 14.09.2026 को एक समिति का गठन किया गया । कुलगुरु महोदय के उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ () कुलसचिव कार्यालय/मदसविवि/2026/768-71 दिनांक	संस्थापन

	15.09.2026 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट-03) अतः कार्यालय आदेश क्रमांक एफ () कुलसचिव कार्यालय/ मदसचिव/ 2026/768-71 दिनांक 15.09.2026 प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	अनुमोदन किया गया ।	
	(2) प्रतिवेदन है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय की सत्र 2026-27 हेतु परीक्षा शुल्क निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 14.09. 2026 द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की 93वीं बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के निर्णय संख्या 09 की अनुपालना में परीक्षा शुल्क में Annexure-A के अनुसार परीक्षाओं हेतु 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुशंसा कुलगुरु महोदय के अनुमोदनोपरान्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ व प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-03-अ)	सम्बद्धता
निर्णय	अनुमोदन किया गया ।	
मद सं. 05	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से पत्र क्रमांक प. 9 (6) शिक्षा-4/2025-00002-8130486 दिनांक 02.07.2026 प्राप्त हुआ है । पत्र में उल्लेख किया गया है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में पूर्व में कार्यरत डॉ. सतीश अग्रवाल के आपराधिक प्रकरण में निलम्बन एवं निलम्बन बहाली से संबंधित प्रकरण का निस्तारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-04) अतः प्रकरण के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत चालान/चार्जशीट पर अंतिम निर्णय आने के उपरान्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।	
मद सं. 06	प्रबन्ध बोर्ड की 111वीं बैठक दिनांक 19.05.2025 के मद संख्या 17 के निर्णयानुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय) को उनकी सेवा के 09, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण होने पर ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार से राय/मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु पत्र संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित किया गया । उक्त पत्र के प्रत्युत्तर	संस्थापन

	में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प 9 (6) शिक्षा-4/2025-00002 जयपुर दिनांक 24.07.2026 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय) को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर सीनियर स्केल तथा 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर सलेक्शन स्केल का लाभ दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 () संस्था/ मदसवि/ 2003/1366 दिनांक 25.01.2003 एवं क्रमांक 5768 दिनांक 03.10.2016 को निरस्त किये जाने के संबंध में मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-05, 06 एवं 07)	
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:- 1. विश्वविद्यालय में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय) के संबंध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प 9 (6) शिक्षा-4/2025-00002 जयपुर दिनांक 24.07.2026 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया । 2. विश्वविद्यालय में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय) के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 () संस्था/ मदसवि/ 2003/1366 दिनांक 25.01.2003 एवं क्रमांक एफ 1 () संस्था/ मदसवि/ 2016/5768 दिनांक 03.10.2016 को निरस्त मान्य किया गया ।	
मद सं. 07	संयुक्त सचिव, कार्मिक (A-Gr.II) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F (4) DOP/A-II/2023/04341 जयपुर दिनांक 17.08.2026 जो कि वर्ष 2026-27 में पदोन्नति हेतु सेवा अवधि के अनुभव में शिथिलन से संबंधित है । जिन कार्मिकों को वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में सेवा अवधि में शिथिलन प्रदान किया जा चुका है उन पर उक्त नियम लागू नहीं होगा । अधिसूचना दिनांक 17.08.2026 से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-08)	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संयुक्त सचिव, कार्मिक (A-Gr.II) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी	

	अधिसूचना क्रमांक F (4) DOP/A-II/2023/04341 जयपुर दिनांक 17.08.2026 विश्वविद्यालय के कार्मिकों पर लागू है अथवा नहीं के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्ट राय प्राप्त की जाये तथा राज्य सरकार से इस संबंध में स्पष्ट राय प्राप्त होने तक विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं प्रभावी नियमों के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जाये ।	
मद सं. 08	भवन निर्माण समिति की 55वीं बैठक दिनांक 16.09.2026 के कार्यवृत्त पर विचार कर निर्णयार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-09)	अभियन्ता कार्यालय
निर्णय	भवन निर्माण समिति की 55वीं बैठक दिनांक 16.09.2026 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं. 09	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली (CCRYN) द्वारा विश्वविद्यालय में Yoga एवं Naturopathy OPD प्रारम्भ करने तथा Yoga एवं Naturopathy के क्षेत्र में Collaborative Research एवं अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने संबंधी प्रस्ताव एवं MoU का प्रारूप प्राप्त हुआ है । उक्त समझौता ज्ञापन MoU (कार्यसूची का परिशिष्ट- 10 एवं 11) के प्रारूप का विधिक परीक्षण विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार से करवाया गया, जिनके द्वारा MoU के प्रारूप को विधि-सम्मत एवं उपयुक्त बताया गया है । अतः योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली (CCRYN) से प्राप्त प्रस्ताव एवं MoU के आधार पर विश्वविद्यालय एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली (CCRYN) के मध्य MoU किए जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली (CCRYN) से प्राप्त प्रस्ताव एवं MoU पर विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक एवं विधिक सलाहकार से स्पष्ट राय/टिप्पणी प्राप्त कर आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जाये ।	
मद सं. 10	विश्वविद्यालय में वाहन चालकों की कमी को देखते हुए कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों से कार्य व्यवस्थार्थ वाहन चालक का कार्य लिया जा रहा है । कई बार वाहन चालक तथा सुरक्षा प्रहरी जिनसे वाहन चालक के रूप में कार्य लिया जा रहा है सुबह जल्दी ही वाहन के साथ मुख्यालय से बाहर	सामान्य प्रशासन

	संबंधित अधिकारी के साथ चले जाते हैं तथा देर रात्रि लौटते हैं। इन वाहन चालकों एवं वाहन चालक सुरक्षा प्रहरी को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्य भत्ता नहीं दिया जा रहा है। अतः वाहन चालक एवं सुरक्षा प्रहरी जिनसे वाहन चालक के रूप में कार्य लिया जा रहा है, यदि संबंधित अधिकारी के साथ वाहन लेकर मुख्यालय से बाहर जाते हैं तथा उनके प्रतिदिन के नियमानुसार निर्धारित कार्य घण्टे के अतिरिक्त 04 घण्टे से अधिक मुख्यालय से बाहर रहते हैं, तो उन्हें 200/- रुपये प्रतिदिन हार्ड ड्यूटी भत्ते के रूप में दिये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि वाहन चालक तथा सुरक्षा प्रहरी/गार्ड (वाहन चालक) यदि संबंधित अधिकारी के साथ वाहन लेकर मुख्यालय से बाहर जाते हैं तथा विश्वविद्यालय नियमानुसार उनके प्रतिदिन के निर्धारित कार्य घण्टे के अतिरिक्त 04 घण्टे से अधिक मुख्यालय से बाहर रहते हैं, तो उन्हें राशि रुपये 200/- प्रतिदिन हार्ड ड्यूटी भत्ते के रूप में भुगतान किया जाये।	
मद सं. 11	विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक पं. 6 (2) सा.प्र./3/81 दिनांक 05.09.2023 जारी (कार्यसूची का परिशिष्ट-12) कर वर्दी भत्ते की दरों को संशोधित किया गया है। अतः विश्वविद्यालय में उक्त आदेश को प्रवृत्त एवं मान्य करने पर विचार कर निर्णय करना साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत जिन पदों का उल्लेख राज्य सरकार के उक्त आदेश में नहीं है उन्हें उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 05 पर अंकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देय वर्दी भत्ते के अनुरूप भुगतान किया जाने पर विचार कर निर्णय करना। अतः प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक पं. 6 (2) सा.प्र./3/81 दिनांक 05.09.2023 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत जिन पदों का उल्लेख राज्य सरकार के उक्त आदेश में नहीं है उन्हें उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 05 पर अंकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देय वर्दी भत्ते की संशोधित दर के अनुरूप, वर्दी भत्ते का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।	
मद सं. 12	विश्वविद्यालय में सलाहकार के रूप में विधिक सेवाएं दे रहे श्री हवा सिंह जाखड़, विधिक सलाहकार की आयु 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है। अतः श्री प्रवीण गिरधर से प्राप्त आवेदन-पत्र (कार्यसूची का परिशिष्ट-13) पर विचार कर विधिक सलाहकार नियुक्त करने पर विचार कर निर्णय करना।	संस्थापन

निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु कुलगुरु महोदय को अधिकृत किया गया ।	
मद सं. 13	विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अन्य संस्थाओं में नियुक्ति/शोध छात्रवृत्ति एवं शोध अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन-पत्र अग्रेषित करने के नियम निर्धारित करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड की 63वीं बैठक दिनांक 11.06.2008 में मद संख्या 05 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त मद पर लिये गये निर्णय की अनुपालना में कार्यालय-आदेश क्रमांक F.1 () Estt/MDSU/ 2007/44024 Dated 09-09-2008 (प्रभावी दिनांक 11.06.2008) (कार्यसूची का परिशिष्ट-14) जारी किया गया । प्रबन्ध बोर्ड की 114वीं बैठक दिनांक 17.03.2026 के निर्णय संख्या 06 के अनुसार कार्यालय-आदेश क्रमांक F.1 () Estt/ MDSU/ 2007/ 44024 Dated 09-09-08 के बिन्दु संख्या (6)(b) में संशोधन किया गया । प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2026/10691-755 दिनांक 25.03.2026 जारी किया गया । चूंकि उक्त आदेश पूर्व में जारी कार्यालय-आदेश क्रमांक F.1 () Estt/ MDSU/ 2007/ 44024 Dated 09-09-2008 (प्रभावी दिनांक 11.06.2008) की निरन्तरता में जारी किया गया था परन्तु सवहन से कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2026/10691-755 दिनांक 25.03.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-15) जारी करते समय आदेश की प्रभावी तिथि का अंकन होने से रह गया । अतः कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 () संस्था/ मदसविवि/ 2026/10691-755 दिनांक 25.03.2026 में प्रभावी तिथि निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर प्रबन्ध बोर्ड की 114वीं बैठक दिनांक 17.03.2026 के निर्णय संख्या 06 की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 () संस्था/ मदसविवि/ 2026/10691-755 दिनांक 25.03.2026 को दिनांक 11.06.2008 से प्रभावी मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया । इस निर्णय पर सदस्य-सचिव ने असहमति व्यक्त की यद्यपि विश्वविद्यालय अधिनियम में सदस्य-सचिव को Quorum का हिस्सा नहीं माना गया है । अतः प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से उक्त कार्यालय आदेश को दिनांक 11.06.2008 से प्रभावी एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।	

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई ।

3.10.26
कुलगुरु

3/10/26
कुलसचिव

